बिल का सारांश

कारखाना (झारखंड संशोधन) बिल, 2023

- कारखाना (झारखंड संशोधन) बिल, 2023 को 2 अगस्त, 2023 को झारखंड विधानसभा में पेश किया गया। यह बिल कारखाना एक्ट, 1948 में झारखंड संबंधी प्रावधानों में संशोधन करता है। 1948 का एक्ट संसद द्वारा पारित एक कानून है जो कारखाना श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को रेगुलेट करता है।
- **महिला श्रमिकों के लिए रात की पाली**: एक्ट कारखानों में महिलाओं को काम पर रखने से संबंधित कुछ प्रतिबंध लगाता है। इन प्रतिबंधों में यह शामिल है कि किसी भी महिला से शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच किसी भी कारखाने में काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगा, या इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य सरकारें प्रतिबंधित घंटों को कम कर सकती हैं, हालांकि कोई भी राज्य सरकार महिलाओं को रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच काम करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकती। बिल झारखंड में इस कानून के कार्यान्वयन में एक अपवाद जोड़ता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि महिला श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा और सुरक्षा उपायों के साथ किसी भी कारखाने में शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के बीच काम करने की अनुमति दी जा सकती है या उनसे ऐसा करने की अपेक्षा की जा सकती है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अलाया पूरेवाल
alaya@prsindia.org

11 सितंबर, 2023